

संक्षिप्त समाचार

घोड़ाडोंगरी में कृषि आदान प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण

अनाधिकृत उर्वरक एवं जैविक खाद जप्त, एफआईआर की कार्रवाई



बैतूल (निप्र)। कलेक्टर बैतूल डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक के मार्गदर्शन एवं समक्ष में दिनांक 26 जून 2026 को जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा विकासखंड घोड़ाडोंगरी अंतर्गत कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स काका बीज भंडार, बागडोना के प्रोपराइटर श्री बजरंग लाल अग्रवाल के स्वयं के अनाधिकृत गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गोदाम में मैसर्स मोनि मिनविल्स एंड ग्राइंडर्स (यूनिट-2), औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर (झाबुआ) द्वारा निर्मित एन.पी.के. 20:20:10 उर्वरक की 16 बोरी एवं NPK 12:32:06 उर्वरक की 05 बोरी कुल 21 बोरियां तथा मैसर्स मॉडर्न एग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-3, पीथमपुर (धार) द्वारा निर्मित उजाला बायो ऑर्गेनिक मैन्യोर की 44 बालिटियां बिना अनुज्ञति में दर्ज कराए अनाधिकृत रूप से भंडारित एवं विक्रय हेतु रखी हुई पाई गई। उक्त सामग्री पर दर्ज MRP अनुसार कुल राशि 108000 है कि जबकी की गई है। उक्त उर्वकों एवं जैविक खाद के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए सामग्री को जप्त कर सहकारी समिति, सारनी की सुपुर्दगी में रखा गया। साथ ही संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की गई। उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक ने बताया कि प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया पाई गई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित उर्वरक विक्रेता फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा एवं गुणवत्तायुक्त सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में कृषि आदान प्रतिष्ठानों में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

हरदा (निप्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, अरविंद धुववंशी के मार्गदर्शन में दिनांक गुरुवार को नेशनल स्किल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, हरदा में 'अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस' के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश/सचिव महोदय, चंद्रशेखर राठौर द्वारा "नालसा डॉन स्कीम 2025" की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा नशा उन्मूलन हेतु शुरू की गई एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य, विशेष रूप से समाज, युवाओं और छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करना है। युवा व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के उपबंधों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के तहत ड्रग्स पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान कराया जाता है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446, चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 एवं सायबर अपराध हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर 1930 की जानकारी प्रदान की गई। उक्त शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को नालसा/नालसा की चल रही विभिन्न योजनाओं- बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018, की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उनके द्वारा नालसा डॉन योजना, 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए एवं नशे की लत से दूर रहना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसी क्रम में बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करारक, नालसा हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर-15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। उक्त शिविर में कोचिंग संचालक श्री नवीन राठौर, विद्यार्थीगण तथा पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्‌नोई उपस्थित रहे।

प्रदेश

■ निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विनिर्माण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए संबंधित संचालकों से चर्चा की

कलेक्टर गुप्ता ने औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण, उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर



विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इकाइयों की उत्पादन क्षमता, मशीनरी, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार उत्पादों के विपणन तथा रोजगार सृजन की स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न विनिर्माण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए संबंधित संचालकों से चर्चा की। उन्होंने यह जाना कि इकाइयों में किस प्रकार की मशीनों का उपयोग

किया जा रहा है, उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती है तथा तैयार उत्पादों का विक्रय स्थानीय बाजारों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं राज्यों में किस प्रकार किया जा रहा है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने उद्योग संचालकों को निर्देशित किया कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां जिले की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार हैं और इनके विस्तार से स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित कई इकाइयों की गतिविधियों की समीक्षा की गई, जिनमें बायो कोल, एम-सैंड, फ्लोर मिल, प्लास्टिक उत्पाद, दाल प्रसंस्करण,

सोलर स्ट्रक्चर, सीडिंग ऑफ वेसल, आइसक्रीम निर्माण तथा बायोगैस ब्रिकेट्स निर्माण जैसी उत्पादन गतिविधियां शामिल हैं। कलेक्टर ने इकाइयों में उपलब्ध संसाधनों, निवेश, रोजगार की स्थिति एवं उत्पादन क्षमता का भी अवलोकन किया। उन्होंने उद्योग संचालकों को शासन की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने, उत्पादन में गुणवत्ता बनाए रखने तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि जिले में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने, उत्पादन बढ़ाने तथा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जाएंगे। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने औद्योगिक इकाइयों को सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी ताकि बिजली की बचत के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र अपने-अपने ख्याति अर्जित कर सके उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु शासन द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं को भी रेखांकित किया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आज भ्रमण के दौरान जम्बार बागरी, सहित शहर में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों का मौके पर जायजा लिया है।



प्रधान जिला न्यायाधीश ने भैरून्दा सब जेल का किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने भैरून्दा सब-जेल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जेल में नशामुक्ति एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उन्होंने बंदियों को नशामुक्ति के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नशे की लत जीवन को बर्बाद कर देती है एवं कई अपराध नशे के कारण होते हैं। उन्होंने बंदियों से कहा कि यदि आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो पूरे मन से संकल्प लें। इस अवसर पर सचिव श्रीमती स्वन्मश्री सिंह ने बंदियों को बताया कि यदि वे नशा छोड़ना चाहते हैं तो उनकी लत निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से छुड़ाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव उनकी मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने नालसा डॉन स्कीम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। शिविर में बंदियों के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई, बंदियों से स्वास्थ्य की जानकारी ली गई एवं संपूर्ण जेल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बंदियों की समस्याओं को सुना और यथोचित निराकरण भी किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्रीमती उषा तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जोशान खान, जेल स्टॉफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।

मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण बना प्रशासन

सीहोर (निप्र)। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सीहोर एवं नर्मदापुरम के जिला प्रशासन की तत्परता देखने को मिली है। नर्मदापुरम जिले के ग्राम रसुलिया निवासी ब्रेन हेमरेज से पीड़ित 83 वर्षीय बुजुर्ग श्री राम गोपाल टोकसे को तत्काल उच्च स्तरीय उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उन्हें नागपुर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। नर्मदापुरम जिला प्रशासन द्वारा सुबह सीहोर जिला प्रशासन से बुधनी के ट्रायटेंड स्थित हेलीपैड पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। इस सूचना पर कलेक्टर श्री बालागुरु के. के. निर्देशानुसार

प्रशासनिक अमला तत्काल सक्रिय हो गया और मरीज के सुरक्षित आवागमन से लेकर हेलीपैड पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर की गईं। बुधनी तहसीलदार श्री ललित सोनी ने बताया कि प्रशासन द्वारा मरीज को नर्मदापुरम से बुधनी हेलीपैड तक सुगमता से पहुंचाने तथा हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस के संचालन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समन्वय स्थापित कर पूरी प्रक्रिया को त्वरित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। सुबह लगभग 11 बजे श्री राम गोपाल टोकसे को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से नागपुर के लिए रवाना किया गया, जहां उनका विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जाएगा।

ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन के लिए गठित होंगी जल समितियां ►►ग्राम पंचायत स्तर पर होगा जल समितियों का गठन, ग्रामीणों की भागीदारी से होगा योजनाओं का संचालन

सीहोर (निप्र)। ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत जल समितियां गठित की जाएंगी। ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और योजनाओं के सुचारु संचालन के उद्देश्य से इन समितियों का गठन किया जाएगा। नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की अनुशंसा एवं पंचायत की स्वीकृति के आधार पर जल समिति का गठन किया जाएगा। पेसा अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की अनुशंसा के आधार पर समिति गठित होगी।

यदि किसी ग्राम पंचायत में पूर्व से नल जल योजना के संचालन एवं संधारण के लिए कोई समिति गठित है, तो उसका पुनर्गठन नए नियमों के अनुसार किया जाएगा। समिति गठन का आदेश पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

जल समिति में सरपंच पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि पंचायत सचिव समिति के पदेन सचिव रहेंगे। ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता समिति के पदेन सदस्य होंगे। समिति में नामांकित सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 होगी। ग्राम पंचायत के



प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को समिति में सदस्य बनाया जाएगा, जो संबंधित उपभोक्ता परिवार से होना आवश्यक होगा। कार्यवाई के ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी 25 प्रतिशत रहेगी।

जल समिति में महिलाओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों का चयन ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा।

लगातार तीन बैठकों में बिना उचित कारण एवं सूचना के अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। ऐसे सदस्य के स्थान पर नियमानुसार नए सदस्य के नामांकन की अनुशंसा ग्राम पंचायत को की जाएगी। जल समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजनाओं की निगरानी, संचालन और संधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे ग्रामीणों को नियमित एवं बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

खरी फाटक रोड स्थित न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान पर आकस्मिक जांच

घरेलू गैस सिलेंडर एवं उपकरण जप्त

विदिशा (निप्र)। तहसीलदार एवं संबंधित विभागीय टीम द्वारा खरी फाटक रोड स्थित काली मस्जिद के पास संचालित न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान संचालक श्री जलील मौके पर उपस्थित मिले और उनके समक्ष संपूर्ण कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर में एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर तथा गैस संबंधी कार्यों में उपयोग होने वाला पीतल का नोजल पाया गया। मौके पर लिए गए कथनों में दुकान संचालक ने बताया कि वह लगभग 10 वर्षों से उक्त दुकान का



संचालन कर रहे हैं तथा गैस स्टोव की मरम्मत, प्रेशर संबंधी सुधार कार्य और बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का कार्य भी

किया जाता है। जांच टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया गया। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने घरेलू गैस सिलेंडर

एवं पीतल के नोजल को नियमानुसार जप्त करते हुए जसी पंचनामा तैयार किया। कार्रवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई तथा दुकान संचालक द्वारा दो गैस पास पुस्तिकाएं प्रस्तुत की गईं। सम्पूर्ण कार्रवाई का पंचनामा तैयार कर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किया गया है। प्रशासन द्वारा गैस सुरक्षा मानकों एवं एलपीजी के नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की जांच एवं निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रखने की बात कही गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि

एक घरेलू गैस सिलेंडर व पीतल का नोजल जप्त कर बनाया पंचनामा

तहसीलदार श्री अजय पाठक एवं नायब तहसीलदार श्री अजय वर्मा एवं फूड विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विदिशा नगर में न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर दुकान संचालक जमील के पास से एक घरेलू गैस सिलेंडर व पीतल का नोजल जमा की कार्रवाई करते हुए सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही निरीक्षण उपरांत पंचनामा भी बनाया गया है। जांच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक नग घरेलू गैस सिलेंडर राशि रुपये 2200 एवं 20 रुपये तथा एक नग पीतल का नोजल राशि रुपये 100 इस प्रकार कुल 2320 रुपए की सामग्री जप्त कर सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई है।

घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल निर्धारित घरेलू कार्यों के लिए करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या अनधिकृत

गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को दें, जिससे दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जोखिमों को रोका जा सके।

